नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 13.02.2025 को दोपहर 02:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री ए बिपिन मेनन, क्षेत्रीय विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में आयोजित 100% निर्यात उन्मुख इकाइयों (EOU) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री नीरज दुबे, अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क जोधपुर, जयपुर।
2. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
3. श्री जगन, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, लखनऊ
4. सुश्री हेमलता हेदाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), अतिरिक्त डीजीएफटी कार्यालय, केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण, (CLA) नई दिल्ली।

इसके अलावा, अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान एनएसईजेड के उप विकास आयुक्त श्री गया प्रसाद, श्री मोहन वीर रुहेला, सहायक विकास आयुक्त, श्री सुनील गुलयानी स्टेनो, श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी भी ने अनुमोदन समिति की सहायता के लिए कहा कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ जहां भी आवश्यक हो, आवेदकों/इकाइयों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. दिनांक 15.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

समिति को सूचित किया गया कि 15.10.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 15.10.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

2 नई 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) इकाई की स्थापना / मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाई को 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) में परिवर्तित करने के लिए आवेदन

2.1 एक्सोटिक मार्बल्स एलएलपी

2.1.1 समिति को सूचित किया गया है कि मैसर्स एक्सोटिक मार्बल एलएलपी, जो माद्री देवस्थान, एन.एच. 8, राजसमंद, राजस्थान में स्थित है, ने माद्री देवस्थान, एन.एच.8, राजसमंद, राजस्थान में ***"संगमरमर ब्लॉक/टाइल्स और ग्रेनाइट ब्लॉक्स/टाइल्स"*** के विनिर्माण और निर्यात के लिए एक नई 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। इस पर अनुमोदन समिति में चर्चा की गई।

2.1.2 कंपनी के **निदेशक श्री राजेंद्र वैष्णव** बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उनसे उनके घरेलू कारोबार और उसके निर्यात के बारे में पूछा गया। श्री वैष्णव ने जवाब दिया कि उन्होंने

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाई में काम किया है जो निर्यात में थी और इसलिए उन्हें वहां का अनुभव है। उन्होंने कहा कि एक पुरानी संगमरमर निर्माण इकाई, जो पहले मेसर्स सिहोडी मार्बल्स (पी) लिमिटेड के नाम से संचालित थी, ने इसे निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) के रूप में संचालन के लिए उदयपुर के मेसर्स एक्सोटिक मार्बल्स एलएलपी को पट्टे पर दे दिया था।

2.1.3 श्री नीरज दुबे, अतिरिक्त आयुक्त, जोधपुर बैठक में शामिल हुए और दिनांक 31.12.2024 के पत्र के माध्यम से पहले से प्रस्तुत साइट निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों को दोहराया। निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ चिंताएँ पाई गईं जैसे कि चारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया, प्रवेश और निकास के लिए एक ही द्वार है, और सुरक्षा गार्ड, कैमरे या अग्निशमन उपकरण की अनुपस्थिति है। उनके विचार में, परिसर, जो वर्तमान में **मेसर्स एक्सोटिक मार्बल्स एलएलपी** द्वारा पट्टे पर दिया गया है, एक निर्यात उन्मुख इकाई (निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू)) स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों को पूरा करने में विफल रहा।

2.1.4 इसके अतिरिक्त, एक महत्वपूर्ण कारक परिसर और मशीनरी की आयु और स्थिति है। यह इकाई 20 वर्ष से अधिक पुरानी प्रतीत होती है, और जबकि इसमें कुछ बुनियादी मशीनरी हैं, जैसे कि गैंग सॉ मशीन, ग्रेनाइट कटिंग मशीन, एज कटिंग मशीन, टाइल कटिंग मशीन और एक छोटी पॉलिशिंग मशीन, ये निर्यात-उन्मुख संचालन के लिए आवश्यक आधुनिक मानकों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। ए सी, जोधपुर ने कहा कि डायवर्सन के बहुत सारे मामले हैं और इसलिए वे इस मानदंड पर बहुत खास हैं।

2.1.5 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया कि इकाई सभी आवश्यक अनुपालनों को पूरा कर सकती है ताकि **मैसर्स एक्सोटिक मार्बल्स एलएलपी** के माद्री देवस्थान, एनएच 8, राजसमंद, राजस्थान में एक नया 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। चारदीवारी के निर्माण, अलग प्रवेश और निकास, सुरक्षा गार्ड, कैमरे या अग्निशमन उपकरण के प्रावधान के लिए एक महीने का समय दिया गया था। यह भी निर्देश दिया गया है कि एक बार इकाई द्वारा इसे पूरा करने के बाद, क्षेत्राधिकार सीमा शुल्क प्राधिकरण, जोधपुर से साइट पर जाने और इसे सत्यापित करने का अनुरोध किया जाएगा।

<u>मद संख्या 2.2: मेसर्स वडैन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नए 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) की स्थापना के लिए प्रस्ताव-संबंधी।</u>

2.2.1 **मेसर्स वडैन प्राइवेट लिमिटेड**, जिसका कारखाना पता प्लॉट संख्या 12, सेक्टर 05, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051 है, ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वस्तुओं के विनिर्माण और निर्यात के लिए एक नए **100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है,** जिसे अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया है:-

क्र. सं.	आईटीसी एचएस	विवरण	वार्षिक क्षमता
1.	63039200	पर्दे/ब्लाइंड्स	20000 पीसी/जोड़ा

क्र. सं.	आईटीसी एचएस	विवरण	वार्षिक क्षमता
2.	63039990	पर्दे/ब्लाइंड्स	
3.	63039100	पर्दे/ब्लाइंड्स	
4.	63031200	पर्दे/ब्लाइंड्स	
5.	94042990	पर्दे/ब्लाइंड्स	10000 पीसी/जोड़ा
6.	630492890	पर्दे/ब्लाइंड्स	
7.	63079099	फैब्रिक डिस्प्ले सेट	
8.	94044010	रजाई	
9.	63041910	बेड स्प्रेड/चादरें	
10.	63049190	बेड स्प्रेड/चादरें	
11.	53039090	फैब्रिक	
12.	54071019	फैब्रिक	
	एसएसी कोड/ जॉब वर्क		
1	995479	हैंडलिंग	
2	998821	जॉब वर्क	

2.2.2 कंपनी के निदेशक श्री अजय गुप्ता बैठक हॉल में बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। सभी वस्तुओं की वार्षिक क्षमता के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कंपनी इस कार्यालय से अनुमति पत्र प्राप्त करने के बाद प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेगी। क्रमांक 11 पर मद के लिए, प्रतिनिधि को मद के लिए अलग एचएस कोड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

2.2.3 आवेदक ने प्लांट एवं मशीनरी में 1 करोड़ रुपये से कम निवेश का प्रस्ताव दिया था, जिसे बीओए के समक्ष दिनांक 24.01.2025 को रखा गया, बीओए ने प्लांट एवं मशीनरी में 1 करोड़ रुपये से कम निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

2.2.4 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्लॉट संख्या 12, सेक्टर 05, आईएमटी मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051 में एक नया 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) स्थापित करने के लिए मेसर्स वदैन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, बशर्ते कि निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की वार्षिक क्षमता प्रस्तुत की जाए और इस आशय का वचन दिया जाए कि वे जल्द से जल्द प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करेंगे।

<u>मद संख्या 2.3: घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाई को 100% ई.ओ.यू. में परिवर्तित करने के लिए मेसर्स मिरीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव-संबंधी</u>

2.3.1 फैक्टरी पता प्लॉट संख्या 274-275, सेक्टर 37, उद्योग विहार, फेज-6, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 के साथ मेसर्स मिरीन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का सैडलरी मद (गैर-चमड़े के एचएस कोड-42010000"

के विनिर्माण और निर्यात के लिए मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाई को निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) में परिवर्तित करने का प्रस्ताव अनुमोदन समिति के समक्ष रखा गया है।

2.3.2 समिति ने पाया कि इकाई का प्रस्ताव बीओए को भेजा गया था क्योंकि इकाई ने संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव दिया था और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये से अधिक के निर्यात का भी अनुमान लगाया था। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) ने 05.11.2024 को आयोजित अपनी बैठक में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाई को 100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) में परिवर्तित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए निवेश को मंजूरी दे दी।

2.3.3 उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने मेसर्स मिरेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसका कारखाना पता प्लॉट नंबर 274-275, सेक्टर 37, उद्योग विहार, फेज-6, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 है, जिसमें सैडलरी मद (गैर-चमड़ा एचएस कोड-42010000) के विनिर्माण और निर्यात के लिए मौजूदा **घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) इकाई को निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) में परिवर्तित करने के लिए इकाई द्वारा** निर्मित वस्तुओं की वार्षिक क्षमता प्रस्तुत करने के अधीन है।

<u>मद संख्या 3 निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) की स्थापना के लिए एलओपी दिनांक 08.08.2024 के विरुद्ध अभ्यावेदन तथा संशोधित अनुमति पत्र जारी करने का अनुरोध।</u>

3.1 समिति को सूचित किया गया कि राॅडर पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड ने (1) प्रसंस्कृत सुपारी पाउडर, (2) भुना हुआ एरियाका नट पाउडर, (3) लौंग पाउडर, ()4) हल्दी पाउडर। (5) लौंग ओलियोरेसिन, (6) हल्दी ओलियोरेसिन, तथा (7) जायफल तेल के विनिर्माण तथा निर्यात के लिए आवेदन किया था। अनुमोदन समिति दिनांक 20.05.2024 के कार्यवृत्त के अनुसार, (1) लौंग पाउडर, (2) हल्दी पाउडर। (3) लौंग ओलियोरेसिन, (4) हल्दी ओलियोरेसिन, तथा (5) जायफल तेल के विनिर्माण तथा निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 08.08.2025 जारी किया गया है।

3.1.2 अभिलेखों के अनुसार, इकाई ने अनुमति पत्र की शर्तों और नियमों की स्वीकृति भी प्रस्तुत नहीं की है और कोई गतिविधि नहीं की है।

3.1.3 अब, इकाई ने प्रसंस्कृत सुपारी पाउडर और (2) भुने हुए सुपारी पाउडर के लिए अनुमति पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन किया था।

3.1.4 इकाई के प्रबंध निदेशक श्री शिवेंदु शुक्ला ने बैठक में भाग लिया और प्रस्ताव को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वे निर्माता इकाई हैं और विनिर्माण की अनुमोदित वस्तुओं के निर्माण के लिए सुपारी और सुपारी का आयात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका 70% से अधिक प्रस्तावित उत्पादन सुपारी और भुने हुए सुपारी पाउडर से संबंधित है। और यदि वे केवल पांच वस्तुओं पर परियोजना शुरू करते हैं तो यह वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। वे निर्माता हैं और पहले से ही इन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य क्षेत्रों में, इन उत्पादों के लिए निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) को मंजूरी दी गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, वाइकिंग स्पिरिट्स के नाम से सुपारी और ओलियोरेसिन और काली मिर्च के आवश्यक तेलों का उनका निर्यात 17/- करोड़ रुपये था। वे निर्यात

उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना के तहत काम करना चाहते हैं ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उनके पास भुना हुआ सुपारी के आयात के लिए सीएएआर सत्तारूढ़ (अग्रिम निर्णय के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरण) के तहत अग्रिम निर्णय भी है।

3.1.5 सीमा शुल्क की लखनऊ समिति के सहायक आयुक्त श्री जगन ने कहा है कि निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) के लिए आयात करते समय इस प्रकार की वस्तुओं का प्रबंधन करना पूरी तरह से अव्यावहारिक होगा। चेन्नई, कोयंबटूर, हैदराबाद में बहुत सारे मामले हैं, राजस्व खुफिया निदेशालय को सुपारी के आयात के मामले दर्ज करने पड़ते हैं। सीएएआर के फैसले के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में अपील दायर की है।

3.1.6 समिति ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और इसे स्थगित कर दिया। समिति ने इस मामले में कानूनी राय लेने के साथ-साथ सीमा शुल्क प्राधिकरण के रुख और उच्च न्यायालय की अपील और आदेशों की प्रतियों की सावधानीपूर्वक जांच करने का भी फैसला किया। इसने डीसी कार्यालय को यह सारी जानकारी और राय एक साथ रखने के बाद फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त